न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या – 36–72/2012
90/2016

विन्दु देवी वनाम राज्य एवं अन्य

– :: आदेश :: –

22.7.18

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद अपीलार्थी विन्दु कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के ज्ञापांक – 1723–1/आई०सी०डी०एस०, दिनांक 11.10.2012 द्वारा आवेदिका का आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या – 49 (सौरबाजार पंचायतन्तर्गत बढ़ौना टोला) के सहायिका पद से चयन मुक्त किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि इनका चयन आम सभा द्वारा दिनांक 03.04.2012 को चयन समिति द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र, बढ़ौना, केन्द्र संख्या – 49, पंचायत–सौरबाजार, परियोजना कार्यालय–सौरबाजार, जिला–सहरसा हेतु सभी अहर्त्ताओं को सही पाकर बतौर सहायिका चयन किया गया। चयनोपरान्त चयन पत्र सदस्य सचिव, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार व अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया। अपीलार्थी का आगे कहना है कि दिनांक 03.04.2012 को पूर्व से निर्धारित तिथि को उक्त केन्द्र के सहायिका के चयन हेतु आम सभा आहुत की गयी, जिसमें चयन समिति के सभी सदस्य एवं ग्रामीण उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया को खुले सभा में किया और आम सभा द्वारा अपीलार्थी का चयन मेघा सूची में सर्वाधिक अहर्त्ता पाकर किया गया। चयनोपरान्त प्रशिक्षण पाकर व अपना योगदान कर कार्यरत हुई तब से विभागीय दिशा एवं निर्देशानुसार कार्य करने लगी। अपीलार्थी का आगे कहना है कि विपक्षी संख्या – 03 कला कुमारी द्वारा भी आवेदन दिया गया, जिसमें वह सप्तम उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र दाखिल की थी जबकि अपीलार्थी अष्टम उत्तीर्ण थी। इसलिए मेघा सूची के अनुसार आवेदिका का चयन किया गया। अपीलार्थी का आगे कहना है कि विपक्षी संख्या – 03 कला कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को शिकायत किया गया, जिसके आलोक में आवेदिका का प्रमाण पत्र जाँच करवाया गया एवं वगैर अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग किये और पक्ष सुने ज्ञापांक – 1723–1/आई०सी०डी०एस०, दिनांक 11.10.2012 से आदेश पारित कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार को अपीलार्थी को चयनमुक्त करते हुए विपक्षी संख्या – 03 कला कुमारी का चयन करते हुए चयन पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गयां। तदुपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार द्वारा पत्रांक – 347 दिनांक 31.10.2012 से अपीलार्थी को चयन मुक्त करते हुए विपक्षी संख्या – 03 कला कुमारी का चयन किया गया जो मार्ग निर्देशिका के विपरित व नियम के प्रतिकूल है। अपीलार्थी का कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार द्वारा गलत व मनमाने रूप से आवेदिका का पक्ष सुने व स्पष्टीकरण पूछे चयनमुक्त कर दिया गया, जबकि उनके द्वारा दाखिल शैक्षणिक प्रमाण पत्र बिल्कुल सही व सत्य है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार द्वारा पारित चयनमुक्ति आदेश से क्षुब्ध व असंतुष्ट होकर अपीलवाद दायर की है।

प्रतिपक्षी का कहना है कि अपीलार्थी का शैक्षणिक स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जाँचोपरान्त फर्जी पाया गया, फलतः अपीलार्थी को चयनमुक्त करते हुए विधिवत आम सभा के माध्यम से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक – 1723 दिनांक 11.10.2012 के निर्देशानुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार द्वारा इनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जाँचोपरान्त सही वो वैध पाते हुए विधिवत चयन किया गया एवं तदुपरान्त सहायिका के रूप में आज तक कार्यरत है तथा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। प्रतिपक्षी द्वारा अपीलार्थी के वाद को साथ हर्जाना खारिज करने की याचना की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जाँच के क्रम में प्रधानाध्यापक, महंथ वासुदेव मध्य विद्यालय, खोपैती, मधेपुरा द्वारा पत्रांक – 114/12.05.2012 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रभार अप्राप्त रहने के करण प्रमाण–पत्र सत्यापन असंभव है, जबकि पूर्व में उन्हीं के द्वारा प्रतिवेदन पत्रांक – 112 दिनांक 26.04.2012 में उल्लेखित है कि विन्दु कुमारी का नाम विद्यालय में दर्ज नहीं था तथा ये फर्जी है। इनके अलावा मूल अभिलेख में सत्यापन भी है। अतः इनके शैक्षणिक प्रमाण–पत्र की सत्यता संदिग्ध है। अतः अपील खारिज किया जाता है। साथ–साथ पुनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि पुनः एक बार अपने स्तर से इनके शैक्षणिक प्रमाण–पत्र की जाँच करा लें। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

22.7.18
जिलाधिकारी,
सहरसा।

22.7.18
जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक......1114-2/ विधि, सहरसा, दिनांक— 27-07-2017.

प्रतिलिपि— मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी० डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— जिला सूचना—विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
27-07-017